राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यद्यपि मुझे उन सभी भाषणों को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ है जोकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिये गये परन्तु फिर भी जो भी चर्चा यहां हुई उसे मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और यद्यपि कुछ सदस्यों ने इसे आत्मसंतोषपूर्ण, बिना किसी तात्पर्य के तथा अर्द्ध रूप से तथ्यों तथा सत्यों को प्रस्तुत करने वाला बताया है परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभिभाषण में इतनी अधिक रुचि ली । अभिभाषण के बारे में इतना जो कुछ कहा गया, सम्भवतः उसी के कारण इसमें हमारी रुचि इतनी अधिक हो गई है । परन्तु यह सब हमेशा की तरह ही है ।

सदस्यों द्वारा जो कुछ भी कहा गया, वह सही था या गलत, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि आलोचना से ही व्यक्ति सीखता है, चाहे वह आलोचना कैसी भी क्यों न हो । परन्तु जब आलोचना की भी अति हो जाती है, तो उससे भी किसी को लाभ नहीं होता है । यह बात भी हमें मान लेनी चाहिए तथा समझ लेनी चाहिए । जो आलोचना न्यायोचित होती है फिर वह चाहे कितनी भी कटु क्यों न हो, उस पर मुझे कभी आपत्ति नहीं होती है परन्तु जब आलोचना न्यायोचित नहीं होती, तो उसे सहन करने में कुछ हिचकिचाहट होती है । मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं ऐसी आलोचना ठीक नहीं होती है ।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के निराशाजनक कार्यकरण को बड़ी चतुराई से छिपा लिया गया है । मैं नहीं जानता कि यह निराशाजनक कार्यकरण क्या है ? खैर फिर भी उन्होंने इसे कार्यकरण तो कहा, चाहे वह निराशाजनक ही क्यों न हो । उन्होंने यह तो नहीं कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आती कि उनका ऐसा कहना कहां तक न्यायोचित था ?

आलोचना में जिन प्रश्नों को उठाया गया है, यदि उन सभी पर विचार किया जाये तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के कार्यकरण का जो ब्यौरा दिया गया है वह न तो निराशाजनक है और न ही असंतोषजनक क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम कार्य कर रहे है, वह कुछ ऐसी ही रही हैं तथा मानव होते हुए पूर्णता का दावा नहीं कर सकते । यह ठीक है कि हमारी कुछ त्रुटियां रही है परन्तु हमें उन्हें दूर करने के लिए उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करना चाहिए । यदि हम सम्पूर्ण आलोचना पर इसी दृष्टि से विचार करें, तो मेरे मित्रों को निश्चय ही मेरी बात काफी हद तक अच्छी ही लगेगी ।

सबसे पहले यही कहा गया है कि देश में हिंसा का वातावरण बना हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार इसके बारे में हर संभव उपाय कर रही है । परन्तु क्या मेरे माननीय मित्र अपनी ही आत्मा को टटोलते हुए यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि

इस हिंसा के लिए कौन उत्तरदायी है ? इस देश में जब विशेषाधिकार पारित किया गया था तो उसके बाद क्या कुछ हुआ ? कुछ लोग उसके साथ सहमत न हों, इस बात को तो माना जा सकता है परन्तु उसके बारे में सड़कों तथा गली कूचों में प्रदर्शन करना तथा फिर उनमें हिंसा करना कहां तक उचित है; इसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? यदि हम इसके बारे में सभ्यतापूर्वक रवैया अपनाते है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह सब कुछ करने की अनुमति दे दी जायेगी ।

कल श्री शुक्ल तथा श्री संजय गांधी के बारे में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया । न्यायालय में इन लोगों द्वारा क्या दृष्य प्रस्तुत किया गया; यह प्रतिपक्ष के लोग है, वह इससे इंकार नहीं कर सकते । कुछ लोगों मे बसों पर भी हमले किये, यह ठीक है कि ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं थी । ऐसा सब कुछ यहां हो रहा है । मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बाद विपक्ष के नेता से यह पूछा कि क्या यह सब कुछ ठीक है, तो वह मेरे साथ इस बात पर सहमत थे कि प्रदर्शनों में 'हिंसा' नहीं होनी चाहिए थी ? परन्तु क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा की ? इसका उत्तर वह अपने आप से ही पूछ ले । हमें इन्हीं मामलों पर विचार करना है ? क्या हिंसा के बारे में केवल सरकार को ही चिंता करनी चाहिए ? क्या इसके बारे में माननीय इन सदस्यों का कोई कर्त्तव्य नहीं है ? क्या उनके दिल में भी इस देश के प्रति वैसा ही प्रेम नहीं होना चाहिए ? यदि उनके मन में भी ऐसा ही प्रेम है तो उन्हें भी हमारी तरह वह सभी तरीके खोजने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, जिन्हें खोजने के लिए हम प्रयत्नशील है । हम इन सभी मामलों में प्रतिपक्ष के साथ विचार-विमर्श करते रहे है । हरिजनों के विरुद्ध किये जाने वाले अत्याचारों तथा साम्प्रदायिक दंगों आदि के बारे में भी हम उनके साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं । अब सरकार ने उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हमने सभी दलों की एक समिति का गठन किया है जोकि इस समस्या के बारे में विचार करेगी और हम उसी के अनुसार इस मामले में कार्यवाही करेंगे । हमने यही कहा था । चूंकि यह कार्य किसी व्यक्ति के लिये अनुकूल है, इसलिए बजाय हिंसा को बढ़ावा देने के मेरे माननीय मित्र को इस कार्य की अत्यधिक सराहना करना तथा सहयोग देना क्या अनिवार्य नहीं हो जाता है ? सरकार के खिलाफ यह संगतपूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है । जिन लोगों ने सरकार पर यह आरोप लगाया है, उनको अपनी अन्तर्आत्मा को टटोलना चाहिए, तब उनको मालूम हो जाएगा कि त्रुटि कहां पर है । हम अपने स्तर पर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं । मुझे आशा है कि वे हमारी मदद करेंगे । यदि वे इसमें हमारी कोई मदद नहीं करते हैं, तो भी हम बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि यह कायम रहे ।

यह कहा गया है, कि देश में मुद्रा-आपूर्ति बहुत बढ़ गई है । व्यक्तिगत तौर पर मैं मुद्रा आपूर्ति की किसी प्रकार की वृद्धि से बहुत खुश नहीं हूं । मैंने अक्सर यह कहा है, कि इसमें पहले की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में ही वृद्धि हुई है । वर्ष 1976-77 में यह 20 प्रतिशत थी, और वर्ष 1977-78 में यह14 प्रतिशत थी । मेरे विचार से यह भी अधिक है । लेकिन 1976-77 में कीमतें 12 प्रतिशत बढ़ीं । लेकिन 1977-78 में उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई । क्योंकि हमने इस बारे में दूसरे उपाय किये ताकि उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी वस्तुएं भी मुक्त रूप से मिलती रहें, और उनकी कीमतें पहले की तुलना में कम हों । इसी कारण से आज यह स्वीकार किया जाता है

कि सभी लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं बगैर किसी देरी अथवा रुकावट के मिल रही हैं तथा इनकी कीमतें पहली की कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं। 10 वर्षों तक काफी मात्रा में मुद्रा-स्फीति बढ़ती रही, अब उस पर अंकुश लगा दिया गया है। हम अभी भी इससे खुश नहीं हैं। हमें सभी कीमतें कम करनी हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : क्या मैं यह कह सकता हूं, कि जब से आपने पद संभाला है तभी से उपभोक्ता सूचकांक लगातार बढ़ रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके बारे में दोबारा जांच करके ही बताया जा सकता है। जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं उनमें कुछ असंगति है। इसको मैं अभी कुछ समय से ही कहता रहा हूं। लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आंकड़ों को बेहतर ढंग से संकलित करने की ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : कीमतों की स्थिरता के बारे में आपके आंकड़े सही हैं, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि कीमतों में वृद्धि हो रही है तब आंकड़े त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे मित्र को मेरी बात सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। विपक्ष के नेता को भी इस सम्बन्ध में कुछ साहस दिखाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे सम्मिलित करें। उन्हें कुछ विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए।

इसके पश्चात् यह कहा गया है, कि 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन अधिक था। यह सही है। यह लगभग 9.5 प्रतिशत था जबकि 1977-78 में यह केवल 3.9 प्रतिशत ही था। यह सत्य है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी ? ऐसा क्यों है ? औद्योगिक विकास ऐसे उत्पादन को लेकर किया जाता रहा है, जिसकी सामान्यतः मांग नहीं थी, सामान-सूची बढ़ती रही। हमें यही सब विरासत में मिला। यदि हम 3.9 प्रतिशत वास्तविक विकास कर सके तो उसके लिए श्रेय मिलना चाहिए। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं ? इससे वे स्वयं अपनी ही निन्दा करेंगे। लेकिन उस सभी उत्पादन को मिलाकर वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन कितना हुआ था। वर्ष 1976-77 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा नकद राष्ट्रीय उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस 3.9 प्रतिशत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन को मिलाकर 1977-78 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 7.4 प्रतिशत तथा नकद राष्ट्रीय उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार के तर्क में कुछ विवेक होना चाहिए। विपक्ष के मेरे मित्र को गणित तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे स्थिति को अच्छे तरीके से समझ सकें।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : गणित के अध्ययन के लिए वे मेरे पास आ सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : इसके आगे यह कहा गया है कि इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि उनके कार्य अब स्वप्न बन गये हैं। हम उन पर अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। हमें अपने राष्ट्रीय

हितों का ही अधिक ध्यान रखना है, और अपने हितों के विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार आप देखते हो हैं कि क्या कार्य किया गया है। कोका कोला तथा आई० बी० एम० जो बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां है, पिछले वर्ष देश से अपना कार्य समाप्त कर दिया है। (व्यवधान)। लेकिन वह भी सिद्धांत के अनुसार था। हम कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। क्योंकि जो हमारे देश के हित का ध्यान नहीं रखेंगे, और हम इसके लिए उनको सहयोग नहीं देंगे। इसी कारण से उनको हमारा देश छोड़ना पड़ा।

आगे यह भी कहा गया है कि हमारी आयात नीति उन्मत्ततापूर्ण है। मैं नहीं जानता कि उनको उन्मत्तता शब्द के तात्पर्य की जानकारी है अथवा नहीं। यदि 'बुद्धिमत्ता' को ही 'उन्मत्ता' के नाम से पुकारा जाता है, तब इसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार आयात नीति क्या है ? हमने उन वस्तुओं का आयात किया है, जिनकी यहां पर कमी थी, और जिनकी कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी। खाद्य तेलों की बहुत ही कमी हो गई थी तथा कीमतें भी काफी बढ़ गई थीं। इसलिए हमें इसका आयात करना पड़ा, और कीमतों को स्थिर कर दिया गया है। क्या इसका आयात करना 'बुद्धिमत्ता थी, अथवा उन्मत्तता' ? यदि कोई व्यक्ति पागल-खाना जाता है, तो उसे भी पागल ही समझा जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी आलोचना की गई है। और यह कहा गया है, कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की कोई प्रगति नहीं हो रही है, तथा इसको पीछे की ओर धकेला जा रहा है। वे केवल तथ्यों को भी जानना नहीं चाहते हैं।

यह भी कहा गया है कि आणविक ऊर्जा कार्यक्रम को पीछे हटाया जा रहा है। इसके विपरीत हम चीजों को दलदल से निकाल रहे है, जो पिछली सरकार के कुछ कार्यों से फंस गई थीं।

यह भी कहा गया है कि हम अपने आणविक संस्थानों के निरीक्षण करने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसा उनसे किसने कहा ? इस सम्बन्ध में मैंने सारी स्थिति को सभा में स्पष्ट कर दिया है, इसके बावजूद भी वे आलोचना कर रहे हैं। मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं ? मैं केवल उनकी आलोचना के प्रति सहानुभूति ही रख सकता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

आखिरकार, हम इस संबंध में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तथा हमने यह कह दिया है, कि हमारे संस्थानों का निरीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जब दूसरे देशों के सभी संस्थानों का भी निरीक्षण कर लिया जाये। अन्यथा इसके लिए हम किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं देंगे। इस संबंध में हम किसी भी प्रकार की मुसीबतों को सहन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये हम राष्ट्रीय सम्मान की बलि नहीं चढ़ायेंगे।

यह भी कहा गया है, कि हम अमरीका का साथ दे रहे हैं। कल को ऐसा सोवियत संघ के बारे में भी कहा जा सकता है। उन सभी के साथ हमारी मित्रता है। इसलिये हम किसी के समक्ष

स्वयं को आत्मसमर्पित नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक देश से हम बराबरी के संबंध स्थापित करते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, कि उन सभी देशों ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन आज हमारे उनसे अच्छे संबंध होने पर ईर्ष्या हो रही हैं, क्योंकि ये पहले आत्मसमर्पण के बावजूद भी स्थापित नहीं हो पाये थे। इसी प्रकार विदेश नीति के बारे में भी कहा गया है। हमारे विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर चीन के निमंत्रण पर तथा बातचीत के जरिये समस्याओं को हल करने के उनके सुझाव पर ही गये थे। विदेश मंत्री ऐसा करने के लिए सहमति हो जाने पर ही वहां गए थे। लेकिन इसको गलत समय पर चीन की यात्रा कैसे कहा जा सकता है। समय कैसा चल रहा है? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि हमें शुभ समय बताने के लिये ज्योतिषी लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन वे राजनैतिक ज्योतिषी हैं जो उनकी इच्छा के अनुकूल हैं। **(एक माननीय सदस्य : श्री मधु लिमये)** हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे चाहे वे श्री मधु लिमये हो अथवा मेरा कोई माननीय मित्र हो। इस संबंध में, मैं कोई भेदभाव नही करूंगा। वास्तविकता, वास्तविकता ही होती है। कोई भी तथ्यों को वास्तविक रूप में देख सकता है कि हमने क्या कार्य किया है? विदेश मंत्री यदि वहां गए, तो क्या किसी बात का उन्होंने देश के हित के विरुद्ध समझौता किया? जिस समय उनको यह जानकारी प्राप्त हुई कि चीन द्वारा वियतनाम पर हमला कर दिया गया है, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और वापस आ गये। वहां पर इससे अधिक और क्या विरोध किया जा सकता था? उनसे पहले के विदेश मंत्रियों में क्या ऐसा साहस था; पिछली सरकार ने ही वहां पर वाणिज्य एजेंसी बनाई, तथा उन्होंने ही वहां पर राजदूत भेजा था अतः उन्होंने ही इसकी शुरूआत की थी और यदि अब हम इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिये कुछ लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? इसे मैं नहीं समझ सकता हूं।

हमने चीन को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है, कि हमारी भूमि, जो हमसे उन्होंने छीन ली है, की समस्या का ऐसा समाधान होना चाहिये, जो हमारे लिये संतोषजनक हो। हमने इसके बारे में कह दिया है, कि हमारे देश की भूमि के लौटाये बिना उस विषय पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं कहा है। जब विदेश मंत्री वहां गये और उनसे बातचीत की, तो वे भी इस बात से सहमत हुए कि वे नागा विद्रोहियों और दूसरे लोगों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। कश्मीर के मामले में भी वे अपनी गल्ती का अहसास करते हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन यह कहना कि हम अपने हित के विरुद्ध कोई समझौता कर रहे हैं सही नहीं है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि हमारी आलोचना करने के लिये वे और अधिक स्पष्ट मुद्दों को तलाश करें।

यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि हम अमेरिका की ओर जा रहे हैं, या इस या उस देश की ओर जा रहे हैं। हमने इन सभी मित्रों को यह बात स्पष्ट कर दी है। वे भी इससे सहमत हुए हैं। किसी भी देश के साथ हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ संबंध बिगाड़ने की कीमत पर नहीं बनाए जाएंगे। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है, कि हम यह चाहते हैं कि सभी देश मित्र बन जायें ताकि युद्ध समाप्त किये जा सकें। हमें अपने देश की जनता का भी ध्यान रखना है। यदि इस संबंध में मेरे माननीय मित्र हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे विचार से इससे कोई भी राष्ट्रीय हित नहीं होगा। इसके लिये मैं उनसे इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में कुछ लोग यह कह रहे है कि हम वैज्ञानिकों के प्रतिकूल कार्य कर रहे है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इससे बड़ा झूठ क्या बोला जा सकता हैं। हम इस ओर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाये। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बी० एससी० अथवा एम० एससी० की उपाधि प्राप्त करने मात्र से ही वैज्ञानिक नहीं बन जाता है। जो विज्ञान में पूर्णरूपेण संलग्न हैं वही वैज्ञानिक है। तथा उनको ही हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहां तक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये आणविक ऊर्जा को उपयोग करने का संबंध है। इसका पहले से और भी अधिक उत्साह के साथ पालन किया जा रहा है। केवल ऐसा ही नहीं किया जा रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी हम आगे प्रगति कर रहे हैं। हमने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को तथा इसके विकास के लिये पहले की अपेक्षा अधिक धन आवंटित किया है। क्या इसका यही तात्पर्य है कि इस कार्य की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है ?

यह निश्चित करने के लिये कि विभिन्न प्रयोगशालाएं अधिक प्रभावकारी रूप में काम करें और उन कुछ दोषी व्यक्तियों पर अधिक निगरानी रखी जा सके जो इसकी शिकायत करते हैं, क्या उन्हें उन दोषी व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिये अथवा उन्हें सरकार का समर्थन करना चाहिये ? क्या उन लोगों का समर्थन करना राष्ट्रहित में है जो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते तथा देश पर भार बनते हैं ? क्या यह विज्ञान और प्रौद्योनिकी के हित में है ? अर्थात उस पर इसी अर्थ में विचार होना चाहिये।

और तब, जब कोई विदेश नीति की बात करता है तो, वे मुझ में गलतियां ढूंढने लगते हैं और कहते है कि मैंने श्री भुट्टो की सजा के विरुद्ध, मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस मामले में वे मुझको कैसे दोषी ठहराते हैं। यदि मैं कहूं कि मैं किसी अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो भला मैं कोई अन्य बात कैसे कह सकता हूं ? लेकिन इन कथित मित्रों की ओर देखिये जो श्री भुट्टो के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। क्या उन्होंने नेपाल की उस घटना के बारे में कुछ कहा, जिसमें दो व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया ? क्या वे उन सेनापतियों के बारे में एक भी शब्द बोले थे, जिन्हें ईरान अथवा अन्य किसी देश में गोली से उड़ा दिया गया ? मैं इनमें से किसी के बारे में, कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमें एक जैसा रवैया रखना चाहिये। हम दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह तो उन्हीं की चिन्ता का विषय है। हां, यदि हम कभी उनके साथ चर्चा करें, जो कुछ हमें कहना है, हम कह सकते, वह तब, जब यदि वे ऐसा चाहते हैं। लेकिन यह तो हुई दूसरी बात, अन्यथा कोई ऐसा नहीं कह सकता है। यदि कोई हमारी नीति के साथ हस्तक्षेप करे, तो हम कैसा अनुभव करेंगे ? क्या हम उन्हें ऐसा करने देंगे ? फिर हम कैसे दूसरों के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं ? इसीलिये इन मामलों में हमें अधिक सोच-विचार कर चलना होगा। यदि हम सभी गुट-निरपेक्ष नीति से बंधे हुए हैं, मेरा विश्वास है कि हम सभी गुट-निरपेक्ष नीति के समर्थक है और मुझे विश्वास है कि कम से कम इस संबंध में मतभेद नहीं हैं। यद्यपि कभी-कभी विस्तार में जाते समय, वे अपने गुटों के साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसी बात मैं विपक्ष के अपने सभी मित्रों के बारे में नहीं कह सकता। वे किसी एक अथवा दूसरे गुट से अवश्य बंधे हुए हैं, लेकिन यह बात विपक्ष के सभी सदस्यों पर लागू नहीं होती, अपितु कुछ पर लागू होती है। और फिर आलोचना होती है या

की जाती है कि मुझे भी उनके गठजोड़ के अनुसार चलना चाहिये। लेकिन ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। इस मामले में हमें सही पथ पर चलना चाहिये और केवल यही नहीं, अपितु सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिये। और वही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे निकृष्ट कोटि की आलोचना विपक्ष के नेता की थी। जब उन्होंने यह कहा कि देश से एकता की भावना तीव्रता से लुप्त होती जा रही है, मैं नहीं जानता कि वे किन सपनों में खोये हुए हैं। लेकिन क्या आज राज्य सरकारों में, पहले से कहीं अधिक एकता की भावना नहीं है ? ऐसी 7 राज्य सरकारें है जोकि जनता पार्टी की नहीं हैं। वे बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन उनके साथ हमारे सम्बंध मधुरतम हैं। वे सम्बंध वैसे ही हैं जैसे कि अन्य सरकारों के साथ हैं। क्या ऐसा उनके समय में हुआ था ? लेकिन हमने इसे कर दिखावा हैं। मुझे इसके बारे में अपनी राय नहीं देनी है, उन्हीं से जाकर पूछो। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप में व्यक्त किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी, विभिन्न प्रकार के तर्क-वितर्क होते हुए भी, अन्ततः हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, जहां हममें कोई मतभेद नहीं होता कोई झगड़ा नहीं होता। क्या इसी से एकता लुप्त हो रही है। मेरी तो समझ में आता नहीं है कि उससे, उनका क्या तात्पर्य है ?

और फिर भाषा समस्या को उठाया जाता है। किसी की इच्छा, आकांक्षा या समझ के विरुद्ध हम किसी को कभी दबाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ? हम ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं हैं कि हम इस सच्चाई से भी आंखें मूंद लें कि हमारे संविधान के अनुसार हिन्दी हमारी राज-भाषा है। क्या मैं उस सच्चाई से आंखें फेर सकता हूं ? लेकिन मैं उसे थोप नहीं रहा। यह बात तो मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दी है। फिर गलती किसके सिर मढ़ी जाये ? क्या सरकार की गलती मानी जाये, या उनकी जो संविधान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं उनसे ऐसा करने को भी तो नहीं कहता, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि हम कोई विरोध पैदा कर लें या कहीं पर अनावश्यक विवाद या विरोध की भावना पैदा कर लें। इस समस्या का हल समझौते से लोगों को बैठकर करना है न कि इस प्रकार का प्रचार करके। लेकिन जो कुछ भी किया जा रहा है वह गलत प्रचार किया जा रहा है। इसी बात पर मैं अपने माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि देश हित में वे कृपया मतभेदों को उभाड़ने अथवा उन्हें कटु बनाने का यत्न न करें। हमें तो उन्हें कम करने, दबाने की कोशिश करनी चाहिये। और उसमें, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है, तो मैं अंगारों पर भी चलने को (भर्त्सना सुनने को) तैयार हूं और जो भी कीमत वे मांगते है, देने को तैयार हूं। किसी भी प्रकार की उत्तेजना दिलाये जाने पर भी, मैं ऐसी कोई गल्ती नहीं करूंगा और इस मामले में मेरे विपक्षी मित्र—जब हम आपस में बातें करते हैं तो, वे बहुत ही आत्मीयता से बातें करते हैं—लेकिन जब वे मुझसे यहां बातें करते हैं तो, वे कुछ और ही बातें करने लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह संसदीय ढंग है।

श्री मोरारजी देसाई : मानव समाज में सामान्यतः ऐसा हो सकता है, मैं यह नहीं जानता, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं उनका मित्र हूं, चाहे वे मेरे मित्र हैं या नहीं, यह तो वही जानते हैं।

फिर पांडिचेरी का भी उल्लेख यहां आया। मैंने क्या कहा था ? और मेरा विश्वास है कि पांडिचेरी सदैव अलग-अलग नहीं रह सकता, उस तरह जिस तरह कि आज वह एक छोटे से

द्वीप-भूभाग की तरह रह रहा है। यह सम्भव नहीं है, लेकिन इसको सही ढंग से ही करना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। सरकार ने तो कोई निर्णय अभी लिया नहीं है— और यही कुछ मैंने कहा था।

एक माननीय सदस्य : गोवा के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : गोवा का मामला पांडिचेरी जैसा नहीं है। गोवा तो पांडिचेरी से चार गुणा बड़ा है, लगता है आप वह बात भूल गये हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आप उसे अनावश्यक रूप से यहां क्यों घसीट रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं तो उसे नहीं ला रहा हूं। मैं यहां यह इसलिये कह रहा हूं, क्योंकि आलोचना तो यहां पर की जाती है और यही वहां भी की गई थी। मैं नहीं समझता कि क्यों इस प्रकार की बातें वहां की जाती है। उनमें गलतियां ढूंढने के बजाय, वे तो मुझ में दोष ढूंढ़ने लगते हैं। मैंने क्या कहा था ? यदि मुझसे पूछा जाता है तो क्या मैं झूठ बोल दूं ? मुझ इसकी न तो आदत है और न ही किसी बात के लिए मैं ऐसा अपने जीवन में करूंगा। जिस बात पर मुझे विश्वास है, मैं तो वही कहूंगा। परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि जो कुछ मैं चाहूंगा सरकार पर दबाव डालकर वही करवाऊंगा। मैं वैसा ही करूंगा, जैसा सरकार चाहेगी, लेकिन वह उस ढंग से नहीं किया जायेगा, जिससे कठिनाईयां उत्पन्न हों, वैसा तो हम करना नहीं चाहते।

गोवा के बारे में भी मैंने कहा है कि दमन, द्वीव और नगर हवेली को पड़ौसी क्षेत्रों में मिला दिया जायेगा। उनकी वर्तमान स्थिति कायम नहीं रह सकती है परन्तु मैं इसमें जल्दबाजी नहीं चाहता। लेकिन करना अवश्य है और अब लोग मुझे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई भाग कर दिये जायें, बिहार को भी कई भागों में बांट दिया जाये। अन्यथा वे कार्य सुचारू रूप से न चला सकेंगे। हो सकता है ऐसी स्थिति हो, लेकिन अब मैं आज इन समस्याओं को कैसे खड़ा कर सकता हूं ? यदि ये छोटी-छोटी बातें समस्याएं खड़ा करेंगी, तो मैं उनकी बात कैसे कर सकता हूं ? इस पर विचार करने के लिये हमें अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी होगी, मैं तो इतना ही कह सकता हूं · · · **(व्यवधान)** मेरे अपने व्यक्तिगत विचार भी हैं, प्रधान मंत्री होने का अर्थ यह नहीं है कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचार नहीं।

श्री ए० बाला पजनौर (पांडिचेरी) : यही बात मैं कल भी कहलाना चाहता था। मैंने उससे आगे और कुछ कभी नहीं कहा।

श्री मोरारजी देसाई : यदि पत्र का यही उपयोग किया जाना था तो, मैं आपको कभी भी पत्र नहीं लिखता। अब मैं आपको पत्र लिखते समय और अधिक सावधान रहूंगा।

श्री ए० बाला पजनौर : मैंने इसको सम्भाल कर रखा और उसका विषय जनता को बता दिया।

श्री मोरारजी देसाई : सबसे ज्यादा कचोटने वाली बात यह कही गई थी कि हम भूतपूर्व प्रधान मंत्री के प्रति बदले की भावना रखते हैं। कल्पना की किस उड़ान से ऐसी बात कही गई है, मुझे तो पता नहीं। कैसे कही गई ? हम किस प्रकार उनके प्रति बदला लेने की भावना रखते हैं ? जबकि वह पूर्णरूप से इस बात के लिए स्वतन्त्र है, कि वह कहीं भी जायें, जो मन में आये हमारे विरुद्ध बोलें, जिसमें अधिकांश झूठ होता हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं आप से एक व्यवस्था देने की मांग करता हूं। यह दूसरा अवसर है कि प्रधान मंत्री जी 'झूठ' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ऐसा उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में कहा और इस बार फिर उसी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह संसदीय भाषा है ? यदि ऐसी बात हो तो हम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा मैं किसी संसद सदस्य के प्रति नहीं कहता, परन्तु यदि मैं ऐसा उस व्यक्ति के बारे में कहता हूं, जोकि संसद सदस्य नहीं है तो मेरे विचार से तो यह असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न तो यह है कि क्या 'झूठ' शब्द संसदीय भाषा हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है उनके लिये इसका प्रयोग असंसदीय है। क्या इसका प्रयोग अन्य लोगों के लिये किया जा सकता है, इस बात की मैं जांच-पड़ताल करूंगा।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आपके विचार से यह संसदीय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है वे असत्य बातें हैं, तथा मैं 'झूठ' शब्द वापिस ले लेता हूं, यदि माननीय सदस्य इसी बात से सन्तुष्ट होते हैं तो।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो आपकी व्यवस्था चाहिये और उसी की मैं मांग कर रहा हूं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं शब्दों के पीछे लड़ना-झगड़ना नहीं चाहता। मैं तो केवल विषयवस्तु ओर की चिन्ता करता हूं। यदि हम कोई विशेष अदालत बना रहे हैं तो वह भी उच्चतम न्यायालय की सलाह से ही किया जा रहा है और यहां तक कि उनमें भी जो कुछ किया जा रहा है वह भी कोई विशेष अदालत में विशेष न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी, वह तो साधारण रूप में होगी। और हम किसी प्रकार के अधिकारों को समाप्त करने के लिये कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, परन्तु यह सब तो मामलों को तत्परता और शीघ्रता से निपटाने के लिये है, जिससे कि उन मामलों को लम्बे समय तक न खींचा जा सके और वही प्रबन्ध हम कर रहे हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : तस्करों और कालाबजारियों के लिए विशेष अदालतें बनाने के बारे में क्या ख्याल हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें ।

एक माननीय सदस्य : वे जनता पार्टी के मालिक है, कर्त्ता-धर्त्ता हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि वे इस प्रकार के आरोपों और प्रत्यारोपों से बाज आएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी । आप इस बात पर वजन क्यों दे रहे हैं ? क्या सत्यों को उदघाटित नहीं किया जा रहा ? किसी न किसी को तो उत्तर देना ही है । यदि मैं उस बात का जवाब न दूं तो यह कहा जाता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया और दूसरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में, हर बात का उल्लेख नहीं किया जा सकता । यह सच है कि यहां की गई आलोचना में धरती की हर वस्तु के बारे में बोला जा सकता है । तब तो इसके दो या तीन खण्ड बन जायेंगे । इसे केवल सार रूप में यहां बताना चाहिये और वही करने का यहां आग्रह किया जाता है । अतः मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस मामले पर विचार करें और उन मामलों में हमारी सहायता करें । हम विपक्ष के नेताओं का समर्थन कई मामलों में प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं और हम उन विषयों पर उनके साथ विचार-विमर्श भी करते हैं । वे मुझे पूरा सहयोग देते है, क्योंकि यदि मैं उनके साथ विचार-विमर्श न करूं तो मेरा काम कैसे चल सकता है ? मैं इसके लिये उनका आभारी हूं । हमने साम्प्रदायिक मामलों पर चर्चा की, हरिजन-समस्या पर बात की और एक सम्मेलन/सभा में यह निर्णय कर लिया गया था कि मुझे इस पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन करना चाहिये । बाबू श्री जगजीवन राम जी की अध्यक्षता में जहां तक हो सका हमने सब विपक्षी दलों को मिलाकर एक समिति का गठन किया तथा यह समिति इस पर विचार प्रकट करके, इसके बारे में अपने सुझाव देगी और जो तरीके और ढंग वे सुझाएंगे सरकार उस मार्ग पर अग्रसर होगी । यही बात हम करना भी चाहते हैं ।

उन बहुत सी बुराईयों को, जोकि विरासत में प्राप्त हुई हैं, हम हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । पिछड़े वर्गों के लिये भी हमने पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया है । कौन हमें अपने विचार देगा । इस मामले में हमें क्या उपाय करने चाहिये, उस पर हर पहलू से विचार करने के बाद ही कोई कदम हम उठायेंगे और जैसाकि पहले होता रहा है, इसमें हम कोई बीस वर्ष का तो समय नहीं लगायेंगे । ऐसा अब तो होगा नहीं और हम उसके प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेंगे । हम उनके प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेंगे और देखेंगे कि मामले को संतोषजनक ढंग से निपटाया जाता है कि नहीं । इसीलिये हमने इसे नियुक्त किया है । और इसी उद्देश्य से हमने अल्पसंख्यकों के लिये आयोग बैठाया है । अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिये भी आयोग का गठन किया है । हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका काम बिना किसी रुकावट और बाधा के पूरा हो । उनका कार्य उचित ढंग से हो और ऐसा करने की पूरी सम्भावना उनके सामने बनी रहे, यह भी हमें देखना है; जिससे इन सब समस्याओं की हमें अच्छी जानकारी मिल सके और कोई अच्छा हल निकल सके । कुछ भी हो, हम सबका हित इसी बात में है कि हम देखें कि यह देश पूर्ण रूप से एक बना रहे, सब समुदाय मिलकर काम करें और हम एक होकर काम करें और देखें कि इसमें देश हित की बात है या नहीं तथा कोई व्यक्ति दूसरे को दबा तो नहीं रहा है । ऐसी ही, बात हम इस देश में चाहते हैं । परन्तु फल प्राप्ति के लिये हमें इसमें कुछ और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि विरासत से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वह अत्यंत दुखपूर्ण है । इसमें दोष तो

किसी का नहीं है, लेकिन यह चल रही है । उसके लिये मैं सदैव अपने माननीय मित्रों का सहयोग लेता हूं, क्योंकि उसके बिना हम अधिक सफल नहीं हो सकते और मुझे आशा है कि उनका सहयोग सदा मिलता रहेगा, जब और जहां इसकी आवश्यकता होगी । मुझे विश्वास है कि इसमें भी कुछ समय बाद, हमें उसी प्रकार का अच्छा वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन पेश किये हैं । क्या मैं सभी प्रस्तावों को, एक साथ सदन के मतदान के लिये रखूं ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन सं० 20 को अलग से मतदान के लिए पेश किया जाये, क्योंकि मैं उस पर सदन का ध्यान विशेष रूप से खींचना चाहता हूं । यह अनेक सरकारी विभागों तथा अभिकरणों में हो रहे बेकार के खर्चों के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : और कोई सदस्य है जो अपना संशोधन अलग से रखना चाहते हों ?

श्रीमती पावर्ती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं चाहती हूं कि औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधेयक पर संशोधन सं० 153 को अलग से रखा जाये ।

श्री के० लकप्पा : संशोधन सं० 383 ।

श्री ए० बाला पजनौर : संशोधन सं० 322 ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : संशोधन सं० 317 और 318 ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके पेश करता हूं । अब मैं संशोधन सं० 20, जिसे श्री मावलंकर ने पेश किया, को पेश करता हूं ।

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : संशोधन सं० 91 ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसे पेश नहीं कर सकता, क्योंकि यह पेश नहीं किया गया है ! संशोधन सं० 153 भी पेश नहीं हुआ है और संशोधन सं० 383 भी पेश नहीं किया गया है ।

श्री के० लकप्पा : यह पेश किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय का कहना है कि यह पेश नहीं किया गया था ।

श्री के० लकप्पा : कार्यालय ऐसा कैसे कह सकता है ? मैं जो कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय इसकी छान-बीन कर रहा है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा । संशोधन सं० 322 पेश नहीं किया गया है ।

श्री ए० बाला पजनौर : महोदय मैं इसको पेश कर रहा हूं ।